RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MCS/170/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ३, अंक ३२] मंगळवार, ऑक्टोबर १०, २०१७/आश्विन १८, शके १९३९ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ५६

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

ग्राम विकास विभाग तथा जल संरक्षण विभाग
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट,
मुंबई ४०० ००१, दिनांकित १ सितंबर २०१७।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XIX OF 2017.

AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LOCAL AUTHORITY MEMBERS DISQUALIFICATION ACT, 1986.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १९ सन् २०१७।

महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्यों की निरर्हता अधिनियम, १९८६ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश।

सन् २०१७ का महा. अध्या क्र. ११ ।

क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्यों की निरर्हता (संशोधन) अध्यादेश, २०१७ (जिसे उसमें आगे, "उक्त अध्यादेश" कहा गया हैं) १ जुलाई २०१७ को प्रख्यापित किया था ;

और क्योंकि २४ जुलाई २०१७ को राज्य विधानमंडल के पुन:समवेत होने पर, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलने के लिये महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्यों की निरर्हता (संशोधन) विधेयक, २०१७ (वि. स. विधेयक क्रमांक ३८ सन् २०१७), २७ जुलाई २०१७ को महाराष्ट्र विधान सभा द्वारा पारित किया गया था और महाराष्ट्र विधान परिषद को पारेषित किया गया था ;

और क्योंकि तत्पश्चात्, महाराष्ट्र विधान परिषद का सत्र ११ अगस्त २०१७ को सत्रावसित होने के कारण उक्त विधेयक महाराष्ट्र विधान परिषद द्वारा पारित नहीं हो सका था ;

और क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ (२)(क) द्वारा यथा उपबंधित उक्त अध्यादेश, राज्य विधानमंडल के पुन:समवेत होने के दिनांक के छह सप्ताह के अवसान पर, अर्थात् ३ सितंबर २०१७ के पश्चात्, प्रवृत्त होने से परिविरत हो जायेगा ;

और क्योंकि उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखना इष्टकर समझा गया है ;

और क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चला रहा है ; और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है जिनके कारण उन्हें, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्यों की निर्रहता (संशोधन तथा जारी रहना) अध्यादेश, २०१७ कहलाए।

(२) यह १ जुलाई २०१७ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९८७ का महा. २० की धारा ७ में संशोधन।

२. (क) महाराष्ट्र स्थानिय प्राधिकरण सदस्यों की निरर्हता अधिनियम, १८८६ (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है।) की धारा ७, उसकी उप-धारा (१) के रूप में पुन:क्रमांकित की जायेगी, और इस प्रकार पुन:क्रमांकित उप-धारा (१), में, " (दो) किसी अन्य पार्षद के मामले में या " कोष्टकों, अक्षरों और शब्दों से प्रारंभ होनेवाले और " कलक्टर का निर्णय अंतिम होगा " शब्दों से समाप्त होनेवाले भाग के स्थान में, निम्न भाग, रखा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९८७ का महा. २०।

"(दो) किसी अन्य पार्षद या सदस्य के मामले में, कलक्टर को, उसके विनिर्णय के लिये निर्देशित किया जायेगा : " ;

(ख) इस प्रकार पुन:क्रमांकित की गई उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्न उप-धारा जोड़ी जायेगी,—

"(२) आयुक्त या, यथास्थिति, कलक्टर का निर्णय, तुरंत ही, सभी संबंधितों को संसूचित किया जायेगा।

(३) आयुक्त या कलक्टर के निर्णय द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर राज्य सरकार को अपील प्रस्तुत कर सकेगा । " ।

सन् २०१७ का महा. अध्या. क्र. ११ का निरसन तथा व्यावृत्ति ।

३. (१) महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्यों की निरर्हता (संशोधन) अध्यादेश, २०१७, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता हैं । सन् २०१७ का महा. अध्या. क्र. ११ का निरसन तथा व्यावृत्ति ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत), इस अध्यादेश द्वारा, यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी ।

वक्तव्य।

महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्यों की निरर्हता अधिनियम, १९८६ (सन् १९८७ का २०), स्थानीय प्राधिकरणों में से पक्षत्याग रोकने के लिये अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा ३ की उप-धारा (१), स्थानीय प्राधिकरणों के पार्षद या सदस्य बनने के लिये, निरर्हता के लिये, पक्षत्याग करने के आधारों का उपबंध करती है। धारा ३क की उप-धारा (१) यह उपबंध करती है कि, यदि, किसी राजनीतिक पक्ष या **आघाडी** या फ्रन्ट से जुडा हुआ पार्षद या सदस्य, धारा (३) की उप-धारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन निरर्ह होता हैं, तो वह उसकी निरर्हता के दिनांक से छह वर्षों के लिये, पार्षद या सदस्य बनने के लिये निरर्ह होगा।

२. उक्त अधिनियम की धारा ७ यह उपबंध करती है कि, नगर निगम के पार्षद के मामले में आयुक्त और किन्हीं अन्य पार्षद या सदस्य के मामले में, कलक्टर का, ऐसी निर्रहता से संबंधित निर्णय अंतिम होगा।

ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने के लिये, व्यथित व्यक्ति को अवसर देने के लिये उपबंध करना विचाराधीन था। इसलिये, यह उपबंध करना इष्टकर समझा गया था कि, आयुक्त या, यथास्थिति, कलक्टर के निर्णय द्वारा व्यथित व्यक्ति, ऐसे आदेश के दिनांक से, तीस दिनों की अवधि के भीतर, राज्य सरकार को, अपील प्रस्तुत कर सकेगा। तद्नुसार, इस प्रयोजन के लिये, उक्त अधिनियम की धारा ७ में, संशोधन करना प्रस्तावित था।

३. क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें, उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्यों की निर्रहता अधिनियम, १९८६ (सन् १९८७ का महा. २०) में अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः, महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्यों की निरर्हता (संशोधन) अध्यादेश, २०१७ (सन् २०१७ का महा. अध्या. क्र. ११) महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा १ जुलाई २०१७ को प्रख्यापित किया गया था।

४. तत्पश्चात् २४ जुलाई २०१७ को राज्य विधानमंडल के पुनःसमवेत होने पर, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलने के लिये, महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण सदस्यों की निरर्हता (संशोधन) विधेयक, २०१७ (वि. स. विधेयक क्रमांक ३८, सन् २०१७), २७ जुलाई २०१७ को महाराष्ट्र विधान सभा द्वारा पारित किया गया था और महाराष्ट्र विधान परिषद को पारेषित किया गया था। तथापि, तत्पश्चात्, महाराष्ट्र विधान परिषद का सत्र ११ अगस्त २०१७ को सत्रावसित होने के कारण उक्त विधेयक महाराष्ट्र विधान परिषद द्वारा पारित नहीं हो सका था।

५. भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ (२)(क) द्वारा यथा उपबंधित उक्त अध्यादेश, राज्य विधानमंडल के पुनःसमवेत होने के दिनांक से छह सप्ताह के अवसान पर, अर्थात ३ सितंबर २०१७ को प्रवृत्त होने से परिविरत होगा। इसलिये, नवीन अध्यादेश के प्रख्यापन द्वारा उक्त अध्यादेश के उपबंधों को जारी रखने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है।

६. राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ; और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ११ सन् २०१७ के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है ।

चे. विद्यासागर राव,

मुंबई, महाराष्ट्र के राज्यपाल।

दिनांकित ३१ अगस्त २०१७। महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से।

असीम गुप्ता,

शासन सचिव।

(यथार्थ अनुवाद),

श्री. हर्षवर्धन जाधव,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.